अनुदान संख्या 26 - उच्चतर शिक्षा विभाग
GRANT No. 26 - DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	63309,20,00		63309,24,00	61751,09,35	-1558,14,65
पूरक	Supplementary	4,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1377,90,67
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-			11,06,00	4,84,10	-6,21,90
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					7,74,59

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	Secretariat - Social Services				
मू.	O.	15785.00	12892.44	13032.48	+140.04
पु.	R.	-2892.56			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2202" सामान्य शिक्षा	Major Head "2202" General Education				
मू.	O.	3101410.00			
पू.	S.	2.00	3253523.72	3251143.82	-2379.90
पु.	R.	152111.72			
मुख्य शीर्ष "2203" तकनीकी शिक्षा	Major Head "2203" Technical Education				
मू.	O.	2673662.00			
पू.	S.	1.00	2894254.79	2878472.14	-15782.65
पु.	R.	220591.79			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	379569.00			
पू.	S.	1.00	0.45	..	-0.45
पु.	R.	-379569.55			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants - in - aid to State Governments				
मू.	O.	150494.00			
			27955.92	27954.91	-1.01
पु.	R.	-122538.08			
मुख्य शीर्ष "3602" विधानमंडल वाली संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants - in - aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	10000.00			
			4506.01	4506.00	-0.01
पु.	R.	-5493.99			

(I) ₹380730.00 लाख का प्रावधान (मार्च, 2025 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) उनचास शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹377282.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) मुख्य शीर्ष “2203” – “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – शैक्षणिक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल (जीआईएएन)” – ₹650.00 लाख व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण।

(खा) मुख्य शीर्ष “2552” –

(क) “विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा – विश्वविद्यालयों को सहायता” –

(i) “इग्नू और राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को सहायता” – ₹1394.00 लाख;

(ii) “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)”– ₹18870.00 लाख;

(iii) “केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान” – ₹155819.00 लाख;

(iv) “राष्ट्रीय शिक्षा मिशनः प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹10926.00 लाख;

(ख) “विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा – अन्य व्यय” –

(i) “छात्र वित्तीय सहायता” – ₹1954.00 लाख;

(ii) “अन्य संस्थानों को सहायता” – ₹806.00 लाख;

(iii) “मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम मिशन (एमएमटीटीपी)” – ₹730.00 लाख;

(I) Provision of ₹380730.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2025) remained wholly unutilized under forty nine heads; of these ₹377282.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head “2203” - “International Co-operation - Global Initiative for Academic Network (GIAN)” - ₹650.00 lakhs - due to less receipt of viable proposals.

(B) Major Head “2552” -

(a) “University and Higher Education - Assistance to Universities” -

(i) “Assistance to IGNOU and State Open Universities” - ₹1394.00 lakhs;

(ii) “University Grants Commission (UGC)” - ₹18870.00 lakhs;

(iii) “Grants to Central Universities” - ₹155819.00 lakhs;

(iv) “National Education Mission: Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan” - ₹10926.00 lakhs;

(b) “University and Higher Education- Other Expenditure” -

(i) “Student Financial Aid” - ₹1954.00 lakhs;

(ii) “Assistance to Other Institutions” - ₹806.00 lakhs;

(iii) “Malaviya Mission Teacher Training Programme (MMTTP)” - ₹730.00 lakhs;

(ग) "भाषा विकास – आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्धन – भारतीय भाषाओं के संवर्धन हेतु अनुदान" – ₹2245.00 लाख;

(घ) "तकनीकी शिक्षा – इंजीनियरी, तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान" –

(i) "भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान" – ₹52672.00 लाख;

(ii) "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)" – ₹1580.00 लाख;

(iii) "अन्य संस्थाओं को सहायता" – ₹15547.00 लाख;

(iv) "भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)" – ₹1780.00 लाख;

(v) "राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और आईआईईएसटी को सहायता" – ₹66759.00 लाख;

(ङ.) "सामान्य (सामान्य शिक्षा) – अन्य व्यय – डिजिटल इंडिया ई–लर्निंग" – ₹1599.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(च) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना"–

(i) "अन्य संस्थाओं को सहायता" – ₹1282.00 लाख;

(ii) "केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान" – ₹12072.00 लाख;

(iii) "राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और आईआईईएसटी को सहायता" – ₹5250.00 लाख;

(c) "Language Development - Promotion of Modern Indian Languages and Literature - Grants for Promotion of Indian Languages"- ₹2245.00 lakhs;

(d) "Technical Education - Engineering, Technical Colleges and Institutes"-

(i) "Indian Institutes of Technology" - ₹52672.00 lakhs;

(ii) "All India Council for Technical Education (AICTE)" - ₹1580.00 lakhs;

(iii) "Assistance to other institutions" - ₹15547.00 lakhs;

(iv) "Indian Institutes of Information Technology (IIITs)"- ₹1780.00 lakhs;

(v) "Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIEST" - ₹66759.00 lakhs;

(e) "General (General Education) - Other Expenditure - Digital India e-learning" - ₹1599.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(f) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Assistance to other institutions" - ₹1282.00 lakhs;

(ii) "Grants to Central Universities" - ₹12072.00 lakhs;

(iii) "Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIEST" - ₹5250.00 lakhs;

(iv) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)"– ₹4335.00 लाख;

(v) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशनः प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम–उषा)" – ₹2604.00 लाख;

(vi) "भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)"– ₹3491.00 लाख;

(छ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)"– ₹1737.00 लाख;

(ii) "केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान" – ₹5859.00 लाख;

(iii) "राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और आईआईईएसटी को सहायता" – ₹2991.00 लाख;

(iv) "अन्य संस्थाओं को सहायता" – ₹565.00 लाख;

(v) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)"– ₹2295.00 लाख; और

(vi) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशनः प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा (पीएम– उषा)" – ₹1470.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त छब्बीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रह गया।

(II) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – उच्चतर शिक्षा विभाग" के अंतर्गत ₹2752.52 लाख की बचत (₹15785.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन के

(iv) "University Grants Commission (UGC)" - ₹4335.00 lakhs;

(v) "National Education Mission: Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan (PM - USHA)" - ₹2604.00 lakhs;

(vi) "Indian Institutes of Technology (IITs)" - ₹3491.00 lakhs;

(g) "Tribal Area Sub Plan" -

(i) "Indian Institutes of Technology (IITs)" - ₹1737.00 lakhs;

(ii) "Grants to Central Universities" - ₹5859.00 lakhs;

(iii) "Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIEST" - ₹2991.00 lakhs;

(iv) "Assistance to other institutions" - ₹565.00 lakhs;

(v) "University Grants Commission (UGC)" - ₹2295.00 lakhs; and

(vi) "National Education Mission: Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha (PM - USHA)" - ₹1470.00 lakhs.

Provisions under the above twenty six heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2251" - "Secretariat - Department of Higher Education" - saving of ₹2752.52 lakhs (against the sanctioned provision of

लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, कम सम्मेलनों का आयोजन करने तथा खरीद के प्रस्तावों का मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2202" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः—

(का) "विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा" —

(क) "विश्वविद्यालयों को सहायता" —

(i) "उच्चतर शिक्षा" — ₹66415.21 लाख की बचत (₹183987.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान से कम मांग होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ii) "अन्य संस्थानों को सहायता" — ₹6003.71 लाख की बचत (₹18727.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थानों की ओर से कम मांग होने के कारण हुई।

(iii) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशनः प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम—ऊषा)" — ₹1796.90 लाख की बचत (₹4370.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एसएनए मॉडल पर वित्त मंत्रालय के निर्देशों में संशोधन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का एसएनए से एसएनए स्पर्श मॉडल में परिवर्तन किए जाने और विभिन्न राज्यों में व्यय की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(ख) "संकाय विकास कार्यक्रम — मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम" — ₹4889.83 लाख की बचत (₹6570.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

₹15785.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries, conduction of less conferences and non-materialization of proposals for procurement.

(III) Under Major Head "2202" - savings occurred under the following heads:-

(A) "University and Higher Education" -

(a) "Assistance to Universities" -

(i) "Higher Education" - saving of ₹66415.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹183987.00 lakhs) was due to less demand from the Institute and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ii) "Assistance to Other Institutions" - saving of ₹6003.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18727.00 lakhs) was due to less demand from the institutes.

(iii) "National Education Mission: Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan (PM-USHA)"- saving of ₹1796.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4370.00 lakhs) was due to revision in the instructions of Ministry of Finance on SNA Model, transition of States/UTs from SNA to SNA SPARSH model and slow pace of expenditure in various States.

(b) "Faculty Development Programme - Malaviya Mission Teacher Training Programme (MMTTP)" - saving of ₹4889.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6570.00 lakhs); and

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना"–

(i) "विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा – अन्य व्यय" – ₹1218.45 लाख की बचत (₹1620.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत व्यय विभाग के निर्देशानुसार 144 एमएमटीटीसी का स्थानांतरण केंद्रीय नोडल एजेंसी–II मॉड्यूल से ट्रजरी एकल लेखा माड्यूल में किए जाने के कारण हुई।

(ii) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशनः प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम–ऊषा)" – ₹638.17 लाख की बचत (₹1042.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एसएनए मॉडल पर वित्त मंत्रालय के निर्देशों में संशोधन किए जाने, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का एसएनए से एसएनए स्पर्श मॉडल में परिवर्तन, और विभिन्न राज्यों में व्यय की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(iii) "उच्चतर शिक्षा" – ₹14636.71 लाख की बचत (₹37930.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "उच्चतर शिक्षा" – ₹7377.49 लाख की बचत (₹19010.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत संस्थानों से कम मांग होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "University and Higher Education - Other Expenditure" - saving of ₹1218.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1620.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to migration of 144 MMTTC's from Central Nogal Agency-II Module to Treasury Single Account module as per direction of Department of Expenditure.

(ii) "National Education Mission: Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan (PM-USHA)" - saving of ₹638.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1042.00 lakhs) was due to revision in the instructions of Ministry of Finance on SNA Model, transition of States/UTs from SNA to SNA SPARSH model, and slow pace of expenditure in various States.

(iii) "Higher Education" - saving of ₹14636.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37930.00 lakhs); and

(d) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "Higher Education" - saving of ₹7377.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19010.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less demand from to institutes and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ii) "विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा – अन्य व्यय" – ₹594.56 लाख की बचत (₹810.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय विभाग के निर्देशानुसार 144 एमएमटीटीसी को केंद्रीय नोडल एजेंसी–II मॉड्यूल से ट्रेजरी एकल खाता मॉड्यूल में स्थानांतरित करने के कारण हुई।

(ii) "University & Higher Education-Other Expenditure" - saving of ₹594.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹810.00 lakhs) was due to migration of 144 MMTTC's from CNA-II Module to TSA module as per direction of Department of Expenditure.

(ड.) "आरक्षित निधि / जमा खाते में अंतरण – माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष में अंतरण – उच्चतर शिक्षा कोष" – ₹50000.00 लाख की बचत (₹700000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(e) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account- Transfer to Madhyamik and Uchchatar Shiksha Kosh - Uchchatar Shiksha Kosh" - saving of ₹50000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹700000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) "सामान्य" –

(B) "General" -

(क) "निदेशन और प्रशासन – डिजिटल इंडिया ई–लर्निंग" – ₹1079.29 लाख की बचत (₹1365.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थायी वित समिति 2021–22 के अनुसार पहली बार भाग लेने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों और संबद्ध विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के पारिश्रमिक के पुनर्गठन किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(a) "Direction and Administration - Digital India E-Learning" - saving of ₹1079.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1365.00 lakhs) was due to restriction of remuneration to first time participated HEIs and affiliated Universities & Colleges compliance as per Standing Finance Committee 2021-22 and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ख) "अनुसंधान – शैक्षणिक और अनुसंधान संवर्धन सहयोग योजना (एसपीएआरसी)" – ₹5500.00 लाख की बचत (₹7400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(b) "Research - Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration (SPARC)" - saving of ₹5500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7400.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals.

(ग) "छात्रवृत्ति – छात्र वित्तीय सहायता" – ₹34270.68 लाख की बचत (₹122567.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(c) "Scholarships - Student Financial Aid" - saving of ₹34270.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹122567.00 lakhs);

(घ) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना"–

(i) "छात्र वित्तीय सहायता" – ₹13507.44 लाख की बचत (₹21589.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत, छात्रों से कम दावे प्राप्त होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ii) "शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (एसपीएआरसी)" – ₹1400.00 लाख की बचत (₹1800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(ङ.) "जनजातीय क्षेत्र उपयोजना" –

(i) "छात्र वित्तीय सहायता" – ₹7327.28 लाख की बचत (₹10844.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छात्रों से कम दावे प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ii) "शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (एसपीएआरसी)" – ₹600.00 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(d) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Student Financial Aid" - saving of ₹13507.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21589.00 lakhs). and

Savings under the above two heads were due to receipt of less claims from students and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ii) "Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration (SPARC)" - saving of ₹1400.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1800.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(e) "Tribal Area Sub Plan" -

(i) "Student Financial Aid" - saving of ₹7327.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10844.00 lakhs) was due to receipt of less claims from students and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ii) "Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration (SPARC)" - saving of ₹600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(iii) "आरक्षित निधि/जमा लेखे में अंतरण – माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष में अंतरण– उच्चतर शिक्षा कोष"– ₹55800.00 लाख की बचत (₹155800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी के कारण हुई।

(iii) "Transfer to Reserve Fund/Deposits Account - Transfer to Madhyamik and Uchchatar Shiksha Kosh - Uchchatar Shiksha Kosh" - saving of ₹55800.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹155800.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(च) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग" –

(f) "International Co-operation" -

(i) "योजना, प्रशासन और वैश्विक सहभागिता"– ₹2300.98 लाख की बचत (₹9589.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(i) Planning, Administration and Global Engagement" - saving of ₹2300.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9589.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ii) "चैंपियन सेवा क्षेत्र" – ₹2660.28 लाख की बचत (₹10400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थानों के दावों की संख्या कम होने और छात्रवृत्ति के लिए पात्र छात्रों की संख्या में गिरावट आने के कारण हुई।

(ii) "Champion Services Sector" - saving of ₹2660.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10400.00 lakhs) was due to less number of claims raised by the institutes and drop in the number of students eligible from scholarship.

(iii) "भारत में अध्ययन" – ₹700.00 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(iii) "Study in India" - saving of ₹700.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) मुख्य शीर्ष "2203" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(IV) Under Major Head "2203" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अनुसंधान – अनुसंधान और नवाचार" – ₹36734.62 लाख की बचत (₹38450.00 लाख के स्वीकृत

(A) "Research - Research - Research and Innovation" - saving of ₹36734.62 lakhs (against the

प्रावधान की तुलना में) बहुविषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा योजना में अनुसंधान सुधार को अंतिम रूप न दिए जाने, उत्कृष्टता केंद्र योजना के तहत केंद्र की स्थापना में देरी और कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(खा) "छात्रवृत्ति – छात्र वित्तीय सहायता" – ₹9355.95 लाख की बचत (₹24379.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छात्रों से कम मांग होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(गा) "इंजीनियरी, तकनीकी कॉलेज और संस्थान" –

(क) "भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी)" – ₹4575.27 लाख की बचत (₹82227.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान से कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर)" – ₹6381.55 लाख की बचत (₹138600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान से कम मांग होने, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने और वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद टीएसए के अंतर्गत अव्ययित शेष राशि प्राप्त होने के कारण हुई।

(ग) "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)" – ₹19430.00 लाख की बचत (₹30020.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घ) "भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)" – ₹7568.75 लाख की बचत (₹43911.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

sanctioned provision of ₹38450.00 lakhs) was due to non-finalization of the Multidisciplinary Education and Research Improvement in Technical Education Scheme, delay in establishment of centre under Centre of Excellence scheme and receipt of lesser number of viable proposals.

(B) "Scholarships - Student Financial Aid" - saving of ₹9355.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24379.00 lakhs) was due to less demand from the beneficiaries and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(C) "Engineering, Technical Colleges and Institutes" -

(a) "Indian Institute of Science (IISc)" - saving of ₹4575.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹82227.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from the Institute and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Indian Institute(s) of Science Education and Research (IISER)" - saving of ₹6381.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹138600.00 lakhs) was due to less demand from the Institute reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and receipt of unspent amount under TSA after the end of financial year.

(c) "All India Council for Technical Education (A.I.C.T.E.)" - saving of ₹19430.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30020.00 lakhs);

(d) "Indian Institutes of Information Technology (IIITs)" - saving of ₹7568.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹43911.00 lakhs);

(ङ) "योजना और वास्तुकला स्कूल (एसपीए)" – ₹3987.30 लाख की बचत (₹16987.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(e) "Schools of Planning and Architecture (SPAs)" - saving of ₹3987.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16987.00 lakhs); and

(घा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना"–

(D) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(क) "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)" – ₹3100.00 लाख की बचत (₹5700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(a) "All India Council for Technical Education (A.I.C.T.E.)" - saving of ₹3100.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5700.00 lakhs).

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचत, संस्थान की ओर से कम मांग होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above four heads were due to was due to less demand from the Institute and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ख) "छात्र वित्तीय सहायता" – ₹2289.39 लाख की बचत (₹5976.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छात्रों से कम मांग होने और कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(b) "Student Financial Aid" - saving of ₹2289.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5976.00 lakhs) was due to less demand from students and less receipt of viable proposals.

(ग) "अनुसंधान एवं नवाचार" – ₹7793.25 लाख की बचत (₹8200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना को अंतिम रूप न दिए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती के कारण हुई।

(c) "Research and Innovation" - saving of ₹7793.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8200.00 lakhs) was due to non-finalisation of the scheme and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(घ) "भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर)" – ₹1148.86 लाख की बचत (₹10800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ट्रेजरी एकल खाता के अंतर्गत अव्ययित राशि की प्राप्ति के कारण हुई।

(d) "Indian Institute(s) of Science Education and Research (IISER)" - saving of ₹1148.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10800.00 lakhs) was due to receipt of unspent amount under Treasury Single Agency.

(ड.) "भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी)" – ₹576.56 लाख की बचत (₹6100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित

(e) "Indian Institute of Science (IISc)" - saving of ₹576.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6100.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals and reduction of

अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ड.) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(E) "Tribal Area Sub-Plan" -

(क) "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)" – ₹1720.00 लाख की बचत (₹2280.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थानों की ओर से कम मांग होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(a) "All India Council for Technical Education (A.I.C.T.E.)" - saving of ₹1720.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2280.00 lakhs) was less demand from the institutes and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ख) "छात्र वित्तीय सहायता" – ₹1085.88 लाख की बचत (₹2845.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छात्रों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(b) "Student Financial Aid" - saving of ₹1085.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2845.00 lakhs) was due to less receipt of proposals from students.

(ग) "अनुसंधान एवं नवाचार" – ₹4142.13 लाख की बचत (₹4350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बहुविषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा योजना में अनुसंधान सुधार को अंतिम रूप न दिए जाने, उत्कृष्टता केंद्र के अंतर्गत केंद्रों की स्थापना किए जाने में देरी, व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(c) "Research & Innovation" - saving of ₹4142.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4350.00 lakhs) was due to non-finalization of Multidisciplinary Education and Research Improvement in Technical Education scheme, delay in establishment of centres under Centre of Excellence, less receipt of viable proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(घ) "भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर)" – ₹540.23 लाख की बचत (₹4600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ट्रेजरी एकल खाता के अंतर्गत अव्ययित राशि की प्राप्ति के कारण हुई।

(d) "Indian Institute(s) of Science Education and Research (IISER)" - saving of ₹540.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4600.00 lakhs) was due to receipt of unspent amount under Treasury Single Agency.

(ड.) "भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी)" – ₹717.80 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(e) "Indian Institute of Science (IISc)" - saving of ₹717.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(V) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएं" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(का) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम–ऊषा)" – ₹88695.29 लाख की बचत (₹109606.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम–ऊषा)" – ₹21335.98 लाख की बचत (₹26126.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उपयोजना – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम–उषा)" – ₹12507.82 लाख की बचत (₹14762.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(VI) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएं" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(का) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम–ऊषा)" – ₹4002.62 लाख की बचत (₹7292.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम–ऊषा)" – ₹952.97 लाख की बचत (₹1728.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उपयोजना – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम–उषा)" – ₹538.41 लाख की बचत (₹980.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(V) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Assistance/Share - National Education Mission - Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan (PM-USHA)" - saving of ₹88695.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹109606.00 lakhs);

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - National Education Mission - Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan (PM-USHA)" - saving of ₹21335.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹26126.00 lakhs);

(C) "Tribal Area Sub Plan - National Education Mission - Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan (PM-USHA)" - saving of ₹12507.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14762.00 lakhs);

(VI) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Assistance/Share - National Education Mission - Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan (PM-USHA)" - saving of ₹4002.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7292.00 lakhs);

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - National Education Mission - Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan (PM-USHA)" - saving of ₹952.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1728.00 lakhs); and

(C) "Tribal Area Sub Plan - National Education Mission - Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan (PM-USHA)" - saving of ₹538.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹980.00 lakhs).

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत बचत वित्त मंत्रालय द्वारा एकल नोडल एजेंसी मॉडल पर निर्देशों में संशोधन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का एसएनए से एसएनए स्पर्श मॉडल में परिवर्तन तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(VII) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹931.52 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक लेकिन ₹500.00 लाख से अधिक नहीं तथा स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत से 23 प्रतिशत तक थी।

2. उपर्युक्त बचत (₹372936.74 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गई, जैसा कि मार्च, 2025 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹3.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया था:–

(का) मुख्य शीर्ष "2202" –

(क) "विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा" –

(i) "विश्वविद्यालयों को सहायता – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)" – ₹104589.81 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹103924.22 लाख था।

(ii) "उच्च शिक्षण संस्थान – डिजिटल इंडिया ई–लर्निंग" – ₹70546.90 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹70336.29 लाख था।

(iii) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" –

(1) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)"– ₹26325.53 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹26131.03 लाख था।

Savings under the above six heads were due to revisions of instructions by the Ministry of Finance on Single Nodal Agency Model, transition of States/UTs from SNA to SNA SPARSH model and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(VII) Under three heads savings of ₹931.52 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 10 percent to 23 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (₹372936.74 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹3.00 lakhs in March, 2025 under the following major heads:-

(A) Major Head "2202" -

(a) "University and Higher Education" -

(i) "Assistance to Universities - University Grants Commission (UGC)" - ₹104589.81 lakhs. Actual excess, however, was ₹103924.22 lakhs.

(ii) "Institutes of Higher Learning - Digital India E-Learning"- ₹70546.90 lakhs. Actual excess, however, was ₹70336.29 lakhs.

(iii) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(1) "University Grants Commission (UGC)" - ₹26325.53 lakhs. Actual excess, however, was ₹26131.03 lakhs.

(2) "डिजिटल इंडिया ई–लर्निंग" – ₹19847.07 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹19816.21 लाख था।

(iv) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(1) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)" – ₹13707.21 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹13290.42 लाख था।

(2) "डिजिटल इंडिया ई–लर्निंग" – ₹10153.02 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹10069.65 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "2203" –

(क) "प्रशिक्षण – राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस)" – ₹10400.00 लाख।

(ख) "इंजीनियरी / तकनीकी कॉलेज और संस्थान – राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और आईआईईएसटी को सहायता" – ₹89369.25 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹87474.40 लाख था।

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना"–

(i) "राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और आईआईईएसटी को सहायता" – ₹15615.90 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹15359.98 लाख था।

(ii) "राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस)" – ₹4800.00 लाख।

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और आईआईईएसटी को सहायता" –

(2) "Digital India E-Learning" - ₹19847.07 lakhs. Actual excess, however, was ₹19816.21 lakhs.

(iv) "Tribal Area Sub Plan" -

(1) "University Grants Commission (UGC)" - ₹13707.21 lakhs. Actual excess, however, was ₹13290.42 lakhs.

(2) "Digital India E-Learning" - ₹10153.02 lakhs. Actual excess, however, was ₹10069.65 lakhs.

(B) Major Head "2203" -

(a) "Training - National Apprenticeship Training Scheme (NATS)" - ₹10400.00 lakhs.

(b) "Engineering/Technical Colleges and Institutes - Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIEST" - ₹89369.25 lakhs. Actual excess, however, was ₹87474.40 lakhs.

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIEST" - ₹15615.90 lakhs. Actual excess, however, was ₹15359.98 lakhs.

(ii) "National Apprenticeship Training Scheme (NATS)" - ₹4800.00 lakhs.

(d) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIEST" -

₹7582.05 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹7485.44 लाख था।

(ii) "राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस)" – ₹600.00 लाख।

(II) बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(का) मुख्य शीर्ष "2202" –

(क) "विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा" –

(i) "केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान" – ₹163372.55 लाख का अधिक व्यय (₹1273081.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने, वेतन, उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी ऋण के पुनर्भुगतान और आवर्ती तथा अनावर्ती व्ययों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान" – ₹14812.39 लाख का अधिक व्यय (₹98228.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(iii) "जनजातीय क्षेत्र उपयोजना – केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान" – ₹7010.45 लाख का अधिक व्यय (₹47741.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग हेतु निधियों के पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

₹7582.05 lakhs. Actual excess, however, was ₹7485.44 lakhs.

(ii) "National Apprenticeship Training (NATS)" - ₹600.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following heads: -

(A) Major Head "2202" -

(a) "University and Higher Education" -

(i) "Grants to Central Universities" - excess of ₹163372.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1273081.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim, requirement of additional funds towards salaries re-payment of Higher Education Financing Agency Loan and recurring and non-recurring expenses.

(ii) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Grants to Central Universities" - excess of ₹14812.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹98228.00 lakhs); and

(iii) "Tribal Area Sub Plan - Grants to Central Universities" - excess of ₹7010.45 lakhs (against the sanction provision of ₹47741.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष "2203" –

(क) "प्रशिक्षण – तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान" – ₹5514.00 लाख का अधिक व्यय (₹9720.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, प्रतिबद्ध देनदारियों और अनावर्ती व्ययों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) "इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज और संस्थान" –

(i) "भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान" – ₹52867.45 लाख का अधिक व्यय (₹886480.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों के पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने और उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी ऋण के पुनर्भुगतान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) "भारतीय प्रबंधन संस्थान" – ₹503.00 लाख का अधिक व्यय (₹19321.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी ऋण और अनावर्ती व्यय के तहत मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(iii) "अन्य संस्थानों को सहायता" – ₹18537.41 लाख का अधिक व्यय (₹16353.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने और रांची और कोकराझार के लिए अनावर्ती व्ययों के

(B) Major Head "2203" -

(a) "Training - Technical Teachers Training Institute"- excess of ₹5514.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9720.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries, committed liabilities and non-recurring expenses.

(b) "Engineering/Technical Colleges and Institutes" -

(i) "Indian Institutes of Technology" - excess of ₹52867.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹886480.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards repayment of Higher Edication Financing Agency Loan.

(ii) "Indian Institutes of Management" - excess of ₹503.00 lakhs against the sanctioned provision of ₹19321.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards repayment of principal and payment of interest under Higher Education Financing Agency loan and non-recurring expenses.

(iii) "Assistance to other Institutions" - excess of ₹18537.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16353.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and

लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" –

(i) "राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर)" – ₹1460.00 लाख का अधिक व्यय (₹785.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, प्रतिबद्ध देयताओं और अनावर्ती व्ययों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) "भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान" – ₹2428.09 लाख का अधिक व्यय (₹58841.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(iii) "अन्य संस्थानों को सहायता" – ₹1534.37 लाख का अधिक व्यय (₹1282.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उपयोजना" –

(i) "भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान" – ₹1084.63 लाख का अधिक व्यय (₹29229.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ii) "अन्य संस्थानों को सहायता" – ₹668.94 लाख का अधिक व्यय (₹565.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग हेतु निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

requirement of additional funds towards non-recurring expenses for Ranchi and Kokrajhar.

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "National Institutes of Technical Teachers Training and Research (NITTTRs" - excess of ₹1460.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹785.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries, committed liabilities and non-recurring expenses.

(ii) "Indian Institutes of Technology" - excess of ₹2428.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹58841.00 lakhs);

(iii) "Assistance to other Institutions" - excess of ₹1534.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1282.00 lakhs);

(d) "Tribal Area Sub Plan" -

(i) "Indian Institutes of Technology" - excess of ₹1084.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29229.00 lakhs); and

(ii) "Assistance to other Institutions" - excess of ₹668.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹565.00 lakhs).

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(iii) "स्थापना" – ₹871.00 लाख का अधिक व्यय (₹295.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, पेंशन और प्रतिबद्ध देयताओं के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(iii) "Establishment" - excess of ₹871.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹295.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries, pension and committed liabilities.

(ड.) "आरक्षित निधि/जमा खाते में अंतरण – माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष में अंतरण – उच्चतर शिक्षा" – ₹105800.00 लाख का अधिक व्यय (₹714249.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों में अधिक अंतरण किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(e) "Transfer to Reserve Fund/Deposits Account - Transfer to Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh - Uchchatar Shiksha" - excess of ₹105800.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹714249.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards more transfer to the funds.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹387.16 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत है।

(III) Under one head excess of ₹387.16 lakhs occurred constituting 11 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में अभ्यर्पित राशि ₹774.59 लाख) ₹621.90 लाख की कुल बचतों से अधिक हो गई।

3. In the capital section of the grant, the amount surrendered (₹774.59 lakhs) exceed the overall savings of ₹621.90 lakhs.

बचतें निम्नानुसार हुईं:–

Savings occurred as under:-

(I) ₹20.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹20.00 lakhs remained wholly under one head.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹385.54 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 68 प्रतिशत है।

(II) Under one head saving of ₹385.54 lakhs occurred constituting 68 percent of the sanctioned provision.

4- ***माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष – उच्चतर शिक्षा कोष :–***

4. *Madhyamik and Uchchatar Shiksha Kosh (MUSK) - Uchchatar Shiksha Kosh :-*

सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए कार्यक्रम के वित्तपोषण हेतु उपलब्ध योजना संसाधनों और अनुमानित आवश्यकता के बीच अंतर को पाटने के लिए, वित्त अधिनियम, 2018 ने राजस्व कर और अधिभार पर चार प्रतिशत की दर से गणना करके स्वास्थ्य

In order to bridge the gap between available plan resources and estimated requirement to finance the programme for universalized quality basic education and secondary and higher education, the Finance Act, 2018 levied a Health and Education Cess

और शिक्षा उपकर लगाया।

एक गैर–व्यपगत निधि और गैर–ब्याज वहन जिसे माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष कहा जाता है 2018 में शिक्षा मंत्रालय के तहत भारत के सार्वजनिक खातों में बनाया गया था।

स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर का एक प्रतिशत इस माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष में जमा किया जाना है जिसका उपयोग स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत योजनाओं पर खर्च किया जाएगा जैसे 'समग्र शिक्षा', 'राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना', 'केंद्रीय विद्यालय संगठन', 'नवोदय विद्यालय समिति', और उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत योजनाएं जैसे 'प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन', 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान', 'गारंटी निधि के लिए ब्याज सब्सिडी और योगदान', 'कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए छात्रवृत्ति योजना' और 'स्वायत्त निकायों को अनुदान'। किसी भी वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं पर किया गया व्यय शुरू में सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से किया जाएगा। योजना आवंटन का घटक और इन योजनाओं पर व्यय जीबीएस समाप्त होने के बाद ही माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से वित्तपोषित किया जाएगा।

शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय बजट 2024–25 में ₹15700.49 करोड़ का प्रावधान राजस्व कर और अधिभार पर 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर में से 1% की अनुमानित प्राप्ति के 60% के सापेक्ष माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष को प्रारंभिक हस्तांतरण हेतु किया गया था। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली योजनाओं से संबंधित योजनाओं पर किए गए व्यय के संबंध में माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष से प्रतिपूर्ति की जाने वाली समान राशि के लिए बजट अनुमान 2024–25 में प्रदान की गई थी।

वर्ष 2024–25 के लिए निधि का लेखा–जोखा इस प्रकार था:–

calculated at the rate of four percent on Income Tax and surcharge.

A non-lapsable fund and in the non interest bearing called Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh was created in the Public Accounts of India under the Ministry of Education in 2018.

One percent out of Health and Education Cess is to be credited in to this Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh for being spent on the schemes under Department of School Education and Literacy viz. 'Samagra Shiksha', 'National Means -cum-Merit Scholarship Scheme', 'Kendriya Vidyalaya Sangathan', 'Navodaya Vidyalaya Samiti', and Schemes under Department of Higher Education viz. 'Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Protsahan', 'Rashtriya Uchchtar Shiksha Abhiyan', 'Interest Subsidy & Contribution for Guarantee Funds', 'Scholarship for Colleges & University Scheme' and 'Grants to Autonomous Bodies'. Expenditure incurred on these schemes, in the any financial year, shall initially be incurred from Gross Budgetary Support (GBS). Component of Plan allocation and the expenditure on these schemes will be financed from Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh only after GBS is exhausted.

A provision of ₹15700.49 crore under the Department of Higher Education, Ministry of Education was made in the Union Budget 2024-25 for initial transfer to Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh against 60% estimated receipt of 1% out of 4% Health and Education Cess on Income Tax and Surcharge. An identical amount of was provided in B.E. 2024-25 for amount to be recouped from Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh in respect of expenditure incurred on the schemes relating to schemes under the Ministry of Education.

The Account of the Fund for the year 2024-25 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथ शेष	Opening Balance	12526,51,00
प्राप्तियां	Receipt	15700,49,00
अदायगियां	Payments	15699,44,00
अंत शेष	Closing Balance	12527,56,00